Most Urgent/ Out Today
Gazette Notification Extra-ordinary (Part-IV)

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Law, Justice & Legislative Affairs)
8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, I.P.Estate, New Delhi.

No.F.14(23)/LA-2000-01/ Dated 25 July, 2001

To

The Addl. Secretary (GAD/Co-ord.)
Government of NCT of Delhi,
2nd Level, A-Wing,
Delhi Secretariat, I.P.Estate,
New Delhi-110 002.

Sub: Gazette Notification of the Indian Stamp (Delhi Amendment) Act, 2001 (Delhi Act No.8 of 2001)

Sir,

I am directed to forward herewith two copies of the above notification (English and Hindi version) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV) Extra-ordinary today itself. It is requested that at least 10 copies of the same may be sent to this department as soon as it is received from the press.

Yours faithfully,

(S.R.Maheshwari)
Under Secretary (Law & Judicial)

Encl: As above

Delhi Sachivalya
GAD/R&I Br.
2 5 JUL 2001
Govt. of N.C.T. of Delhi.
I. P. Estate, New Delhi-2

No.F.14(23)/LA-2000-01/ 592 Dated 25 July, 2001

Copy forwarded for information & necessary action to :-

1. The Secretary to L.,G., Raj Niwas, Delhi.
2. The Secretary (Finance Minister), Delhi Secretariat, New Delhi.
3. The Pr.Secretary (Finance), Delhi Secretariat, New Delhi.
4. Secretary to Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. O.S.D. to C.M., Delhi Secretariat, New Delhi.
6. P.S. to Chief Secretary, Delhi Secretariat, New Delhi.
7. Secretary (Legislative Assembly), Old Secretariat, Delhi.
8. Collector of Stamps, Tis Hazari, Delhi.
9. Library-in-charge (Vidhan Sabha), Old Secretariat, Delhi.
10. Sh.N.G.Goswami, Legislative Counsel, Law Department, Delhi Secretariat, New Delhi.

25/7/2001

(S.R.Maheshwari)
Under Secretary (Law & Judicial)

N.B:- A photo copy of the Bill as assented to by the President of India is also sent enclosed for record purpose pl.

US(2)
Keep in related file
12A/SLA
26/7/01
322 To
26/7

(To be published in Part IV of Delhi Gazette , Extraordinary).

Government of National Capital Territory of Delhi
(Department of Law, Justice & Legislative Affairs)
C-Wing, 8th Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.

No. F.14 (23)/LA-2001/ 535 to 545 Dated the 25th July, 2001.

The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 18th July, 2001 and is hereby published for general information :-

THE INDIAN STAMP (DELHI AMENDMENT) ACT, 2001

(Delhi Act No. 8 of 2001).

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 28th March, 2001).

AN

ACT

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899.

BE it enacted the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :-

Short Title, extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Delhi Amendment) Act, 2001.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

Substitution of Schedule for Schedule I-A

2. In the Indian Stamp Act, 1899 as in force in the National Capital Territory of Delhi, for Schedule I-A, the following Schedule shall be substituted, namely :-

DVS

"SCHEDULE I-A"

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
1.	ACKNOWLEDGEMENT, of a debt exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's Pass Book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditors possession: provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.	One rupee
2.	ADMINISTRATION BOND, including a bond given u/s 6 of the Govt. Saving Bank Act, 1873, or sections 291, 325 and 376 of the Indian Succession Act, 1925.	
	(a) Where the amount does not exceed Rs 1000	The same duty as Bond No.15 for such amount
	(b) In any other case.	One hundred rupees
3.	ADOPTION DEED, that is to say, any instrument (other than a Will), recording an adoption or conferring or purporting to	Fifty rupees

confer an authority to adopt.

ADVOCATE –See Entry as an Advocate (No.39)

4.	AFFIDAVIT, including an affirmation or Declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of Swearing	Ten rupees
	Exemptions	
	Affidavit or declaration in writing when made:	
a)	As a condition of enrolment under the Army Act, 1950; or Air Force Act, 1950;	
b)	For the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer of any court; or	
c)	For the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.	
5.	AGREEMENT OR MEMORANDUM OF AN AGREEMENT	
a)	If relating to the sale of a bill of exchange;	One rupee for every Rs.10000 or part thereof.
b)	If relating to the sale of a Government Security or share in an incorporated company or other body corporate	One rupee for every Rs.10000 or part thereof of the value of the security or share subject to maximum of Rs.1000.
c)	If not otherwise provided for;	Fifty rupees

DVS

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	Exemptions -	
	Agreement or memorandum of agreement -	
a)	For or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No.43;	
b)	Made in the form of tenders to the Central Govt. for or relating to any loan.	
6.	AGREEMENT TO LEASE-See Lease (No.35).	
	Agreement Relating To Deposit of Title Deed Pawn or Pledge, that is to say, any Instrument evidencing an agreement relating to:-	
1)	The deposit of title – deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security), or,	
2)	The pawn or pledge of moveable property, where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt:-	
a)	If such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement:-	0.5 percent of the amount secured by such deed, subject to a maximum of fifty thousand rupees.
b)	If such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument	Half the duty payable under sub-clause (a).
	Exemptions	
	Instrument of pawn or pledge of goods if unattested	
7.	APPOINTMENT IN EXECUTION OF A POWER, whether of trustees or of property, moveable or immovable, where made by any writing not being a will.	One hundred rupees
8.	APPRAISMENT OR VALUATION made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit:-	
a)	Where the amount does not exceed Rs.1000.	The same duty as Bottomary Bond No.16
b)	In any other case	Fifty rupees
	Exemptions	
a)	Appraisement or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or operation of law.	

		Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	b)	Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.	
9.		APPRENTICESHIP DEED, including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being articles of Clerkship (No.11).	Ten rupees
		Exemption	
		Instrument of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1950, or by which a person is apprenticed by, or at the charge of, any public charity.	DVS
10.		ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY:-	
	a)	When the authorised capital of the company does not exceed one lac:	0.15% of the Authorised share capital with a monetary ceiling of Rs.25 Lakhs.
	b)	In other cases	
		Exemption	
		Articles of any Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956	
		See also Memorandum of Association of a Company (No.39).	
11.		ARTICLES OF CLERKSHIP or contract whereby any person first becomes bound to serve as a clerk in order to his admission as an attorney in any High Court.	Four hundred rupees
		ASSIGNMENT:- See conveyance (No.23), Transfer No.62 and Transfer of Lease No.63, as the case may be.	
		ATTORNEY – See entry as an Attorney No.30 and power of Attorney (No.48)	
		AUTHORITY TO ADOPT-See Adoption Deed (No.3).	
12.		AWARD, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit:-	
	a)	Where the amount or value of the property to which the award relates as set forth in such award, does not exceed Rs.1000;	The same duty as a bond No.15 for such amount.
	b)	If it exceeds Rs.1000, but does not exceed Rs.5000.	One rupee for every one thousand rupees or part thereof of the value of the property to which the award relates.

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	and for every additional Rs.1000 or part thereof in excess of Rs.5000	
13.	BILL OF EXCHANGE	Same as in Schedule-I
14.	BILL OF LADING (including a through bill of lading)	Same as in Schedule-I
15.	BOND as defined by section 2(5) not being a DEBENTURE (No.27) and not being otherwise	2% and 0.5% on bond issued by the local authority
	Provided for by this Act or by the court fees Act, 1870-	
	See Administration Bond (No.2) Bottomry Bond (No16), Customs Bond (No.26), Indemnity Bond (No.34), Respondentia Bond (No.56), Security Bond (No.57).	DVS
	Exemption: Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscription to a charitable dispensary or hospital or to any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.	
16.	BOTTOMRY BOND, that is to say, any instrument whereby the master of a sea-going ship borrow money on a security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.	The same duty as a Bond No.15 for the same amount
17.	CANCELLATION- Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled) if attested and not otherwise provided for.	One hundred rupees
	See also Release (No.55), Revocation of settlement (No.58-B), Surrender of lease (No.61), Revocation of Trust (No.64-B).	
18.	CERTIFICATE OF SALE (in respect of each property put up as a separate lot and sold), Conveyance duty as to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court or Collector or other Revenue Officer	The same duty as Conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount of the purchase money only.
19.	CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT, evidence the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, one thousand stock in or of any incorporated Co. or other body corporate or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such Co. or body.	One rupee for every one thousand or a part thereof, of the value of the shares, scrip or stock.
	See also LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES No.36	
20.	CHARTER PARTY, that is to say any instrument (except an agreement for the hire of a tug steamer), whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charterer, whether it includes a penalty clause or not.	Fifty rupees

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
20A.	CHIT AGREEMENT is an agreement relating to a chit as defined in clause (2) of section 2 of the Madras Chit Fund Act, 1961 as extended to the Union Territory of Delhi, if either such agreement is executed or the chit is conducted in the Union Territory of Delhi.	Five rupees
22.	COMPOSITION DEED, that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors or under letters of license, for the benefit of his creditors.	One hundred rupees
23.	CONVEYANCE as defined by Sec 2(10) not being a transfer charged or exempted under No.62-	8% of the consideration amount set forth in the instrument
	Exemption	
	Assignment of copy right under the copy right Act, 1957 Sec 18.	DVS
	CO-PARTNERSHIP-DEED, see partnership (No.46)	
24.	COPY OR EXTRACT, certified to be true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees-	
i)	If the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed two rupees;	Ten rupees
ii)	In any other case not falling within the provision of section 6-A.	Ten rupees
	Exemptions	
a)	Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose.	
b)	Copy of, or extract from any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.	
25.	COUNTERPART OR DUPLICATE of any instrument chargeable with duty in respect of which the proper duty has been paid-	
a)	if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed two rupees;	Ten rupees
b)	In any other case not falling within the provisions of Section 6-A	Ten rupees

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	Exemption	
	Counterpart of any lease granted to a cultivator, when such lease is exempted from duty	
26.	CUSTOMS-BOND-	
a)	Where the amount does not exceed Rs.1000	The same duty as Bond No.15 for suclf amount.
b)	In any other case	One hundred rupees
27.	DEBENTURE (whether a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable-	Same as in Schedule-I
28.	DELIVERY ORDER IN RESPECT OF GOODS, that is to say, any instrument entitling any person therein named, or his assigns or the holder thereof, to the delivery of any goods lying in any dock or port, or in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire or upon any wharf such instrument being signed by or on behalf of the owner of such goods upon the sale of transfer of the property therein, when such goods exceed twenty rupees in value	One rupee
	DEPOSIT OF TITLE DEEDS-See Agreement relating to Deposit of Title Deeds, Pawn Or Pledge (No.6)	
	DISSOLUTION OF PARTNERSHIP-See Partnership (No.46)	
29.	DIVORCE, instrument of – that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage. Dower instrument of – see settlement (No.58)	One hundred rupees
	DUPLICATE – See counter part No.25	
30.	ENTRY AS AN ADVOCATE, VAKIL OR ATTORNEY ON THE ROLL OF THE HIGH COURT.	
	(Under the Indian Bar Councils Act, 1926, or in exercise of powers conferred on such Court by Letters Patent or by the Legal Practitioners Act, 1884)-	
a)	In the case of an Advocate or Vakil	Five hundred rupees
b)	In the case of an Attorney	Five hundred rupees
	Exemption-	
	Entry of an advocate, vakil or attorney on the roll of the High Court, when he has previously been enrolled in any other High Court.	

DVS

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
31.	EXCHANGE OF PROPERTY, Instrument of EXTRACT – See Copy (No.24)	The same duty as Conveyance (No.23) as levied by this Act for a consideration equal to the greatest value of the property as set forth in such instruments
32.	FURTHER CHARGE, Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property-	
a)	when the original mortgage is one of the description referred to in clause (a) of Article No.40 that is, with possession;	The same as a Conveyance (No.23) for the value equal to the amount of further charge secured by such instrument.
b)	when such mortgage is one of the description referred to in clause (b) of Article No.40 (that is, without possession)-	
i)	if at the time of execution of the instrument of further charge possession of the property is given or agreed to be given under such instrument;	The same as Conveyance No.23 for a value equal to the total amount of charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such mortgage and further charge.
ii)	if possession is not so given	The same duty as a Bond No.15 for the amount of the further charge by such instrument, subject to a maximum of rupees two lakhs.
33.	GIFT-Instrument of, not being a Settlement (No.58), or will or transfer (No.62)	The same duty as Conveyance (No.23) on the value of property.
	HIRING AGREEMENT or agreement for service – See Agreement (No.5)	
34.	INDEMNITY BOND	The same duty as a security Bond No.57 for the same amount.
	INSPECTOR-SHIP-DEED	
	See Composition Deed (No.22).	
35.	LEASE, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let-	

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
a)	Where by such lease the rent is fixed and no premium is paid or delivered-	
i)	Where the lease purports to be for a term of less than one year;	The same duty as Bond No.15 for the whole amount payable or deliverable under such lease
ii)	Where the lease purports to be for a term of not less than one year, but not more than five years;	The same duty as bond No.15 for the amount/value of the average annual rent received.
iii)	Where the lease purports to be for a term exceeding five years, but not exceeding ten years;	The same duty as Conveyance No.23 as levied by this Act for a consideration equal to the amount/value of the average annual rent received.
iv)	Where the lease purports to be for a term exceeding ten years but not exceeding twenty years;	The same duty as Conveyance No.23 as levied by this Act for a consideration equal to twice the amount/value of the average annual rent received.
v)	Where the lease purports to be for a term exceeding twenty years but not exceeding thirty years;	The same duty as Conveyance No.23 as levied by this Act for a consideration equal to thrice the amount/value of the average annual rent received.
vi)	Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years but not exceeding 100 years;	The same duty as Conveyance No.23 as levied by this Act for a consideration equal to 4 times amount/value of the average annual rent received.
vii)	Where the lease purports to be for a term exceeding 100 years or in perpetuity;	The same duty as Conveyance No.23
viii)	Where the lease does not purport to be for any definite term;	The same duty as Conveyance No.23 as levied by this Act for a consideration equal to 3 times amount/value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long.

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
b)	Where lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved.	The same duty as Conveyance No.23 as levied by this Act for a consideration equal to the amount/value of such fine or premium or advance as set forth in the lease.
c)	Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced, in addition to rent reserved	The same duty as Conveyance No.23 as levied by this Act for a consideration equal to the amount/value of such fine or premium or advance as set forth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered.

DVS

Exemption

Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium when a definite term is expressed and such term does not exceed one year, or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.

In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of lands for cultivation together with a homestead or tank.

Explanation; when a lessee undertakes to pay any recurring charge, such as Government revenue, the landlord's shares of cesses or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent.

36.	LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES in any company or proposed company or in respect of any loan to be raided by any company or proposed company	One rupee
	See also CERTIFICATE OF OTHER DOCUMENT (No.19)	
37.	LETTER OF CREDIT	Same as in Schedule-I
	LETTER OF GUARANTEE – See Agreement (No.5)	
38.	LETTER OF LICENSE, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion	One hundred rupees.

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
39.	MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY-	
a)	If accompanied by articles of association under section 26, 27 and 28 of the Companies Act, 1956	Two hundred rupees
b)	If not so accompanied	Five hundred rupees
	Exemption	
	Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956.	
40.	MORTGAGE DEED, not being an agreement relating to Deposit the Title Deeds, Pawn or Pledge (No.6), Bottomry Bond (No.16), Mortgage of a Crop (No.41), Respondentia Bond (No.56) or Security Bond (No.57)-	DVS
a)	When possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given-	Same duty as Conveyance Deed No.23.
b)	When possession is not given or agreed to be given as aforesaid;	2 percent with a monetary ceiling of Rs.2 lacs.
	EXPLANATION- A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this articles.	
c)	When a collateral or auxiliary or additional or substituted security, or by way of further assurance for the above mentioned purposes where the principal or primary security is duly stamped-	
	For every sum secured not exceeding Rs.1000 or part thereof.	Two rupees
	And for every Rs.1000 or part thereof secured in excess of Rs.1000.	Two rupees per thousand or part thereof.
	EXEMPTION	
1.	Instruments, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loan Act, 1884 or by their sureties as Security for the repayment of such advances	
2.	Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.	
41.	MORTGAGE OF A CROP, including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage-	
a)	When the loan is repayable in not more than three months from the date of the instrument-	

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	For every sum secured not exceeding Rs.200;	One rupees for rupees two hundred and part thereof.
	And for every Rs.200 or part thereof secured in excess of Rs.200.	One rupees for rupees two hundred and part thereof.
b)	When the loan is repayable in more than three months, but not more than eighteen months from date of the instrument-	
	For every sum secured not exceeding Rs.100	One rupees
	And for every Rs.100 or part thereof secured in excess of Rs.100.	One rupees for rupees one hundred and part thereof.
42.	NOTARIAL ACT, that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation certificate or entry not being a protest (No.50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by Any other persons lawfully acting as a Notary Public.	Five rupees
	See also protest of Bill of Note (No.50).	
43.	NOTE OR MEMORANDUM, sent by a Broker or Agent to his Principal intimating the purchase or sale on account of such Principal-	
a)	Of any goods exceeding in value twenty rupees;	One rupee
b)	Of any stock or marketable security exceeding in value of twenty rupees;	One rupee for every Rs.10,000 or part thereof, of the value of security at the time of its purchase or sale, as the case may be.
44.	NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP	Ten rupees
45.	PARTITION, instrument of, as defined by section 2(15).	The same duty as a Bond No.15, for the amount of the value of the separated share or shares of the property. N.B.- The largest share remaining after the property is partitioned or, if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other share than one of such equal shares shall be deemed to be that from which the other shares are separated.

DVS

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	Provided always that- a) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severally is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of first instrument, but shall not be less than ten rupees. b) where the instrument relates to the partition of agriculture land exclusively the market value for the purpose of duty shall be calculated at fifty times the annual land revenue. c) where a final order for effecting a partition passed by any Revenue- authority or any Civil Court or an award by an arbitrator directing a partition is stamped with the stamp required for an instrument of partition & such instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed ten rupees.
46. PARTNERSHIP-	
A Instrument of-	
a) Where the capital of the partnership does not exceed Rs.500;-	One percent with a ceiling of Rs.5000/-.
b) In any other case	
B. DISSOLUTION of-	
PAWN or PLEDGE - See agreement relating to deposit of title deeds, Pawn or pledge (No.6)	Two hundred rupees

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	POLICY OF INSURANCE-	Same as in Schedule-I
48.	POWER OF ATTORNEY as defined by section 2(21), not being a Proxy (No.52)-	
a)	When executed for sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents.	Twenty rupees
b)	When required in suits or proceedings under Presidency Small Cause Courts Act, 1882;	Twenty rupees
c)	When authorising one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (a);	Fifty rupees
d)	When authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;	Fifty rupees
e)	When authorising more than five but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;	Fifty rupees
f)	When given for consideration and authorising the attorney to sell any immovable property.	Same duty as conveyance No.23 as levied by this Act for the amount of consideration.
g)	In any other case	Fifty rupees for each person authorised.
	N.B.- The term "registration" includes every operation incidental to registration under the Indian Registration Act, 1908.	
	Explanation-for the purpose of this Article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.	
49.	PROMISSORY NOTE	Same as in Schedule-I
50.	PROTEST OF BILL OR NOTE, that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public, or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or promissory note.	Ten rupees
51.	PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP, that is to say, any declaration of the particulars of her voyage drawn up by him with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the charterers or the consignees for not loading or unloading the ship, when such declaration is attested or certified by a Notary Public or other person lawfully acting as such.	Ten rupees
	See also NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP (No.44)	

DVS

		Description of Instrument	Proper Stamp Duty
52.		PROXY	Same as in Schedule-I
53.		RECEIPT	Same as in Schedule-I
54.		RE-CONVEYANCE OF MORTGAGED PROPERTY-	
	a)	If the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs.1000	Same duty as conveyance No.23 as levied by this Act for the amount of consideration as set forth in the Re-conveyance
	b)	In any other case-	
	i)	If the re-conveyance relates to immovable property situate within a Municipality, Cantonment Board or Notified Area;	One hundred rupees
	ii)	In other cases	One hundred rupees
55.		RELEASE, that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23 (A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property-	
	a)	If the amount or value of the claim does not exceed Rs.1000	Same duty as a Bond No.15 for such amount of value as set forth in the release.
	b)	In any other case	One hundred rupees
56.		RESPONDENTIA BOND, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination	Same duty as a Bottomary Bond No.16 for the amount of the loan secured.
		REVOCATION OF ANY TRUST OR SETTLEMENT- See Settlement (No.58); Trust (No.64)	
57.		SECURITY-BOND OR MORTGAGE DEED, executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract-	
	a)	When the amount secured does not exceed Rs.1000;	The same duty as a Bond No.15 for the amount of the loan secured.
	b)	In other case	One hundred rupees
		EXEMPTIONS	
		Bond or other instrument, when executed	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
a) By any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscription to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem;	
b) By person taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances;	
c) By officers of the Govt. or their sureties to secure the due execution of an office, or the due accounting for money of other property received by virtue thereof.	
58. SETTLEMENT-	
A- Instrument of – (including a deed of dower)	The same duty as Bond No.15 for a sum equal to the amount or value of the property settled as set forth in such settlement
EXEMPTION Deed of dower executed on the occasion of marriage between Muhammadans.	
B- Revocation of--	The same duty as Bond No.15 for a sum equal to the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation but not exceeding one hundred rupees.
See Also Trust (No.64)	
59. SHARE WARRANTS to bearer issued under the Companies Act, 1956	One and a half times the duty payable on a mortgage deed with possession No.40(a) for the amount equal to the nominal amount of the share specified in the warrant.
EXEMPTIONS Share Warrant when issued by a company in pursuance of the Companies Act, 1956, Section 114, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of Stamps-Revenue of-	
a) One-and-a-half per centum of the whole subscribed capital of the company; or	

		Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	b)	If any company which has paid the said duty or composition in full subsequently issues an addition to its subscribed capital, one-and-a-half per centum of the additional capital so issued.	
60.		SHIPPING ORDER, for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel	One rupee
61.		SURRENDER OF LEASE-	
	a)	When the duty with which the lease is chargeable does not exceed ten rupees;	The duty with which such lease is chargeable.
	b)	In any other case	One hundred rupees.
		EXEMPTION	
		Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.	
62.		TRANSFER (whether with or without consideration)-	Same as in Schedule-I
63.		TRANSFER OF LEASE, by way of assignment and not by way of underlease.	The same duty as conveyance No.23 as levied by this Act, for a consideration for the transfer
		Exemption Transfer of any lease exempt from duty.	
64.		TRUST-	
	A.	Declaration of – of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will.	The same duty as conveyance No.23 of amount of value of the property settled.
	B.	Revocation of – of, or concerning any property when made by any instrument other than a Will.	The same duty as a Bond No.15 for a sum equal to the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument but not exceeding one hundred rupees.
		See also Settlement (No.58) VALUATION-See Appraisement (No.8) VAKIL-Entry as a Vakil (No.30)	

LVS

5.	WARRANT FOR GOODS, that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	One rupee.

(S.R. Maheshwari),
Under Secretary (Law & Judicial)

S. R. MAHESHWARI
Under Secretary (L.&J.)
Govt. of Delhi.
(Law & Judl. Deptt.)
Delhi Sachivalaya,
New Delhi.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग),
8वाँ तल "सी" विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-2

संख्या: फा. 14(23)/विधायी कार्य/2001/535 to 545 दिनांक 25 जुलाई, 2001

भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 18.7.2001 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित निम्न अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

भारतीय स्टाम्प शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2001

(दिल्ली अधिनियम संख्या: 8, 2001)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2001 को यथा पारित)

भारतीय शुल्क अधिनियम, 1899 के कार्यान्वयन संबंधी उसके पुन: संशोधन हेतु

एक

अधिनियम

यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के बावनवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाये :-

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ

1.(1) इस अधिनियम को भारतीय स्टाम्प शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(2) यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होगा।

(3) यह दिल्ली राजपत्र में राष्ट्रीय राजधानी के उप-राज्यपाल द्वारा यथानियत तिथि से प्रभावी होगा।

अनुसूची 1 क का प्रतिस्थापन

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में यथाप्रवृत भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

" अनुसूची 1-क

	विलेख का प्रकार	उचित स्टाम्प शुल्क
1	**अभिस्वीकृति** : बीस रूपये से अधिक धनराशि या इससे अधिक की देनदारी, इतने या इससे अधिक जो ऋणि या उसकी ओर से हस्ताक्षर किया गया हो, जिसे साक्ष्या की पूर्ति की जानी हो (सिवाय बैंककार की पासबुक के) या ऐसी पुस्तक या दस्तावेज जो लेनदार के अधिकार में है, प्रतिबन्ध यह है कि उस अभिस्वीकृति में किसी ऋण को देने का वादा न हो या ब्याज देने का वादा या कोई सामान या सम्पति देने का वादा हो ।	एक रूपया
2	**प्रशासन बंधपत्र** : जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम - 1925 की धारा 291, 375 और 376 या सरकारी बचत बैंक अधिनियम - 1873 की धारा 6 के अधीन दिये गये बंधपत्र भी सम्मिलत हैं ।	
	(क) जहाँ राशि 1000 रूपये से अधिक नहीं है	वही शुल्क बंधपत्र संख्या 15 में उतनी राशि के लिए है
	(ख) अन्य प्रकरण में	एक सौ रूपये
3	**दत्तक विलेख** : कोई विलेख (वसीयतनामे से अन्यथा) जिसमें दत्तक ग्रहण को लेखबद्ध किया गया, या दत्तक लेने का अधिकार प्रदान किया गया हो, या प्रदान किया जाना अभिप्रेत हो	पचास रूपये
	अधिवक्ता - कृपया अधिवक्ता के रूप में प्रवृष्टि (संख्या 39) देखें	
4	**शपथ पत्र** : जिसमें उन लोगों के मामले में, अभिपुष्टि या घोषणा भी शामिल हैं, जिनको शपथ के स्थान पर अभिपुष्टि करने या घोषणा करने की विधिक छूट है ।	दस रूपये
	<u>छूट</u>	
	शपथ पत्र या लिखित घोषणा जब वह :	
	(क) सेना अधिनियम - 1950 या वायु सेना अधिनियम 1950 की शर्त के अनुरूप	
	(ख) जबकि वह तुरंत कारणों से या किसी न्यायालय में या किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष दाखिल करना हो या	
	(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या दातव्य भत्ता पाने में सहायक होने के मात्र प्रयोजन से बनाया गया हो ।	

करार या करार का ज्ञापन

(क) यदि किसी विनिमय पत्र की बिक्री से संबंधित हो	प्रत्येक 10 हजार रूपये के लिए एक रूपया या उसका अंश ।
(ख) यदि सरकारी प्रतिभूति या किसी निर्गमित कम्पनी के अंश या अन्य निर्गमित संस्था के शेयर या प्रतिभूति	प्रत्येक दस हजार रूपये के लिए एक रूपया या उसके अधिकतम एक हजार मूल्य के अंश या प्रतिभूति तक ।
(ग) यदि अन्यथा कोई प्रावधान न हो	पचास रूपये

<u>छूट</u> :

<u>करार या करार का ज्ञापन :-</u>

(क) वस्तुओं की बिक्री के लिए या इससे संबंद्ध या विशेषकर वाणिज्य संख्या 43 के अनुसार प्रभार किसी नोट या ज्ञापन का न होना

(ख) किसी ऋण के लिए या संबंद्ध केन्द्रीय सरकार के लिए निविदाओं के रूप में किया गया हो

6 **पट्टे पर देने का करार** : पट्टा (संख्या 35) देखें

स्वत्व पत्रों का निक्षेप, आढ़ या गिरवी या ऐसा कोई विलेख जिससे

I) हक विलेख का निक्षेप या किसी भी प्रकार की सम्पत्ति जिस पर अपना स्वत्व का प्रमाण हो जो विपण्य प्रतिभूति के अतिरिक्त हो या

II) जगम सम्पत्ति की आढ़ या गिरवी, जो ऋण के रूप में दिये या दिये जाने वाले धन या किसी वर्तमान या भविष्यत देनदारी की अदायगी की जमानत के रूप में किया गया हो : --

(क) यदि यह ऋण या देनदारी या करार के प्रमाण स्वरूप तैयार किये गये विलेख की तिथि से तीन माह या अधिक समय में वापिस होना हो ।	उक्त विलेख पर उठाई गयी राशि का 0.5 प्रतिशत, जबकि अधिकतम पचास हजार रूपये

	(ख) यदि वह ऋण या देनदारी उस विलेख की तिथि से तीन माह या इससे अधिक समय से वापिस होना हो	उपधारा क के अधीन देय शुल्क का आधा
	छूट:-	
	कृषि उपज के आढ़ या गिरवी का विलेख यदि अराष्ट्रयांकित हो ।	
7	मुख्तारनामा के निष्पादन में न्यासियों का नियुक्त किया जाना :	एक सौ रूपये
	चल या अचल सम्पत्ति की, जो किसी लेख द्वारा वसीयत न की जाये	
8	दशा या मूल्य आंकना, जब वह किसी वाद के दौरान न्यायालय के आदेश से अन्यथा किया जाये : -	
	(क) जब राशि एक हजार रूपये से अधिक न हो	बॉटमरी बंधपत्र संख्या 16 के समान शूल्क
	(ख) अन्य किसी प्रकरण में	पचास रूपये
	छूट	
	(क) जब दशा या मूल्यांकन का कार्य केवल एक पक्ष की सूचना के लिए किया जाये जो किसी भी प्रकार पक्षकारों की सहमति से या विधिक रूप से पक्षकारों पर बाध्य न हो, (ख) भूस्वामी को दिये जाने वाले लगान की राशि को तय करने के लिए फसल की दशा को आंकना ।	
9	शिक्षु विलेख : जिसमें प्रत्येक वह लिखित शामिल है, जो किसी शिक्षु लिपिक या सेवक के, जो किसी शिक्षक, के साथ कोई धंधा, व्यापार या रोजगार सीखने के लिए लगाया जाये, सेवा या शिक्षण से संबंधित हो और लिपिक का अर्टिकल न हो । (क्रमांक 11)	दस रूपये
	छूट	
	शिक्षुता लिखत जो शिक्षुता नियमावली - 1950 के अधीन किसी न्यायाधीश द्वारा निष्पादित विलेख या वह विलेख जिससे कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक धर्मदा के द्वारा या उसके व्यय से शिक्षु बनाया जाये ।	

10	कम्पनी का संगम अनुच्छेद (क) जब कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी एक लाख रूपये से अधिक न हो (ख) अन्य प्रकरण में	प्राधिकृत शेयर को 0.15 प्रतिशत जबकि अधिकतम वित्तीय सीमा पचीस लाख रूपये है ।
	<u>छूट</u> ऐसी कम्पनी के संगम अनुच्छेद जो लाभ के लिए न बनाई गई हो और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो । कम्पनी का संगम ज्ञापन (क्रमांक 39 भी देखें)	
11	**शिक्षुता नियमावली** : या करार जिससे कोई व्यक्ति पहले कलर्क के रूप में सेवा करने के लिए प्रतिबंधित होता है ताकि उसे किसी उच्च न्यायालय में न्यायवादी के रूप मे प्रवेश मिल सके	चार सौ रूपये
	कर्तव्यभार : देखें हस्तांतरण (क्रमांक 23) अन्तरण संख्या 62 और लीज का अंतरण - संख्या 63, जैसी भी स्थिति हो ।	
	न्यायवादी : न्यायवादी की प्रविष्टि क्रमांक 30 और मुख्तारनामा (क्रमांक 48)	
	दत्तकग्रहण का अधिकार : देखें दत्तक विलेख क्रमांक 3	
12	**पंच फैसला** : अर्थात किसी वाद के दौरान न्यायालय के आदेश से या अन्यथा किसी संदर्भ में पंच या अधिनिर्णायक द्वारा किया गया लिखित निर्णय, जो विभाजन निदेशित न करता हो :	
	(क) जब उस राशि या संपत्ति, जिससे फैसला संबंधित है, का मूल्य एक हजार रूपये से अधिक न बताया हो	वही शुल्क बंधपत्र संख्या -15 में उतनी राशि के लिए है ।
	(ख) यदि वह एक हजार रूपये से अधिक है और पांच हजार रूपये से अधिक नहीं है	प्रत्येक एक हजार रूपये के हेतु एक रूपया या सम्पत्ति का मूल्य, जिसपर पंच फैसला हुआ है के हिस्से पर
	और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार रूपये या उसका प्रत्येक अंश जो पांच हजार रूपये से अधिक है	प्रत्येक एक हजार रूपये के लिए एक रूपया या सम्पत्ति का मूल्य जिसपर पंच फैसला हुआ है के हिस्से पर

13	विनिमय पत्र	जैसा अनुसूची 1 में है।
14	**वहन पत्रः** (धु बिल ऑफ लेडिंग को शामिल करते हुए)	जैसा अनुसूची 1 में है ।
15	**बंधपत्र** : जैसा धारा 2(5) में परिभाषित जो डिबेंचर (क्रमांक 27) न हो । इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम 1870 द्वारा अन्य प्रावधान हों । प्रशासन बान्ड (संख्या 2), बोटोमैरी बान्ड (संख्या 16), कस्टम बान्ड (संख्या 26), क्षतिपूर्ति बान्ड (संख्या 34), प्रतिवादी बान्ड (संख्या 56), अभिरक्षा बान्ड (संख्या 57) **छूट** : किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी करने के प्रयोजन से किया गया हो कि किसी धर्मार्थ औषधि केन्द्र या चिकित्सालय या अन्य किसी सार्वजनिक नाम के कार्य के लिए निजी धंदे के होने वाली स्थानीय आय एक निश्चित राशि प्रतिमास से कम न होगी ।	2 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत तक और जो बंधपत्र स्थानीय प्राधिकारण द्वारा जारी हो।
16	**वाटमरी बंधपत्र** : अर्थात् ऐसा विलेख जिससे किसी समुद्री जहाज का मास्टर, जहाज की जमानत पर रूपया उधार ले जिससे वह जहाज की परिरक्षा कर सके, या यात्रा पूरी कर सके	मूल्य के बाराबर राशि पर बंधपत्र (क्रमांक 15) के समान शुल्क
17	<u>निरस्त्रीकरण</u> : (जिसमें ऐसा कोई विलेख शामिल है, जिससे पहले निष्पादित किसी विलेख को निरस्त किया जाये), और यदि साक्ष्यांकित हो अन्यथा उसका प्रावधान न हो । कृपया रिलीज भी देखिये (संख्या 55), समझौते का निरस्त्रीकरण (संख्या 58 ख), पट्टे का समर्पण (संख्या 61), न्यास का निरस्त्रीकरण (संख्या 64 ख)	एक सौ रूपये
18	**विक्रय प्रमाण पत्र** : (उस प्रत्येक सम्पत्ति के लिए जो पृथक लाट में नीलाम कर चढ़ाई और बेची गई हो), जो किसी न्यायालय या सिविल या राजस्व या उसके समकक्ष समाहर्ता या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी से बेची गई किसी सम्पत्ति के क्रेता को दिया जाये ।	केवल क्रयधन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण (क्रमांक 23) के समान शुल्क

19	**प्रमाणपत्र या अन्य लेख पत्र** : जिससे उसके, धारक या अन्य किसी व्यक्ति का अधिकर सिद्ध होता हो किसी निगमित कंपनी की या अन्य निगमित संस्था के शेयर, स्क्रिप या स्टॉक का स्वत्व या अधिकार, या ऐसी संस्था या कंपनी के शेयर, स्क्रिप या स्टॉक या स्टॉक का स्वामी होना प्रमाणित होता हो । शेयरों के आवंटन का पत्र (क्रमांक 36) भी देखें ।	प्रत्येक एक हजार रूपये के लिये एक रूपया या शेयर, स्क्रिप या स्टॉक के मूल्य के तदनुसार ।
20	चार्टर पार्टी : अर्थात् कोई विलेख (टग स्टीमर के किराये के सिवाय) जिसमें कोई जलयान या उसका कोई प्रमुख सुनिश्चित अंग चार्टर के सुनिश्चित प्रयोजन हेतु किराये पर दिया जाये, चाहे उसमें कोई दंड का प्रावधान हो या नहीं ।	पचास रूपये
20ए	**चिट करार** : जैस कि मद्रास चिटफंड अधिनियम- 1961 जो संघशासित क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित है की धारा (2) के खंड 2 में परिभाषित है, यदि यह करार दिल्ली राज्य क्षेत्र में चिट परिचालित करने के लिये किया जाता है ।	पाँच रूपये ।
22	**प्रश्मन विलेख** : अर्थात् ऋणि द्वारा निष्पादित विलेख जिसमें वह अपने साहूकारी हित हेतु अपनी संपति हस्तांतरित करे, या साहूकारों को उनके ऋण पर समझौते की राशि या लाभांश की अदायगी सुरक्षित करे या जिसमें साहूकार के हित के लिए ऋणी के व्यापार को निरीक्षकों के देख रेख में या अनुज्ञरित पत्र के अधीन जारी रखने की व्यवस्था करे ।	एक सौ रूपये
23	**हस्तांतरण** : जैसा कि धारा 2(10) में परिभाषित है । जो ऐसा अंतरण न हो, जो क्रमांक 62 के अधीन प्रभारित या मुक्त हो **छूट** : प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम - 1957 के क्रमांक 18 में प्रतिलिपि का अभ्यर्पण सह भागीदार विलेख - देखें भागीदारी - क्रमांक - 46	विलेख में उल्लेखित विक्रय राशि का 8 प्रतिशत
24	नकल या उद्धरण जो किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से सही नकल या उद्धरण होना प्रमाणित किया गया हो और तत्समय प्रभावी न्यायालय फीस के अधीन प्रभार्य न हो (i) यदि मूल पर शुल्क प्रभार्य नहीं था या उस पर जो शुल्क प्रभार्य था व दो रूपये से अधिक नहीं था ।	 दस रूपये

	(ii) अन्य किसी दशा में जो धारा 6-क के प्रावधानों के अन्तर्गत न आता हो	दस रूपये
	छूट :	
	(क) किसी दस्तावेज की प्रति जिसका किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में अभिलेख के लिये या अन्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन से बनाया या दिया जाना विधि द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित हो ।	
	(ख) जन्म, बपतिस्मा, नामकरण, समपर्ण, विवाह, तलाक, मृत्यु या दफन से संबंधित किसी किसी पंजिका की प्रति या, में से उद्धरण ।	
25	**प्रतिलेख या द्वितीय प्रति :** किसी विलेख का, जिसपर शुल्क प्रभार्य हो और जिसके लिये उचित शुल्क अदा किया गया हो -	
	(क) यदि मूल विलेख पर प्रभार्य शुल्क दो रूपये से अधिक न हो	दस रूपये
	(ख) अन्य किसी दशा में जो धारा 6-क के प्रावधानों के अन्तर्गत न आता हो	दस रूपये
	छूट : किसी कृषक को दी गई करार(लीज) का प्रतिलेख जब लीज शुल्क से मुक्त हो ।	
26	**सीमा शुल्क बंधपत्र :**	
	क. जहाँ राशि एक हजार रूपये से अधिक नहीं है	उस राशि पर बंधपत्र क्रमांक 15 के समान
	ख. अन्य प्रकरणों में	एक सौ रूपये
27	**डिबेंचर** (चाहे बंधक डिबेंचर हो या नहीं) परंतु बाजार में अंतरण होने वाली प्रतिभूति	जैसा अनुसूची 1 में है ।
28	**माल की छुट्टाई के लिये आदेश :** अर्थात् ऐसा विलेख जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को, या उसके आदेशित को, या उसके धारक को, किसी गोदी, बन्दर पर रखे, या किसी गोदाम में जमा, जहाँ किराया भाड़े पर माल जमा किया जाता है, या किसी नौका घाट पर रखे माल को पाने के लिये अधिकृत करता हो, यदि वह विलेख उस माल के स्वामी द्वारा या उसकी तरफ	एक रूपया

से माल के स्वामी की बिक्री या अन्तरण पर, हस्ताक्षरित किया गया हो, जब माल की कीमत बीस रूपये से अधिक हो ।

स्वत्व पत्रों का निक्षेप - देखें स्वत्वपत्रों का निक्षेप आढ़ या गिरवी से संबंधित इकरार (क्रमांक- 6)

भागीदारी का विघटन - देखें भागीदारी (क्रमांक - 46)

29	**तलाक** : का विलेख, अर्थात्, ऐसा विलेख जिसमें कोई व्यक्ति अपने विवाह को भंग करे । मेहर का विलेख - देखें प्रतिलेख (क्रमांक 58)	एक सौ रूपये
	प्रतिलिपि : देखें सम्भाग क्रमांक 25	
30	उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, वकील या न्यायवादी के रूप में नामांकन (इंडियन बार काउंसिल अधिनियम- 1926 या उक्त न्यायालय में विहित लैटर्स पेटेंट या विधि व्यवसायी अधिनियम- 1884 के अंतर्गत)	
	(क) अधिवक्ता या वकील के मामले में	पांच सौ रूपये
	(ख) न्यायवादी के मामले में	पांच सौ रूपये
	छूट : जब तक कि कोई अधिवक्ता, वकील या न्यायवादी किसी उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया हो, यहाँ उच्च न्यायालय में तालिकांकित किया जायेगा ।	
31	**सम्पत्ति का विनिमय** : विलेख से उद्धरण - देखें प्रति क्रमांक 24	हस्तांतरण (क्रमांक 23) के समान शुल्क जैसा कि सम्पत्ति का अधिकतम मूल्य बताया गया है कि प्रतिफल में यथाउद्रत
32	**अतिरिक्त प्रभार** - का विलेख, अर्थात् ऐसा विलेख जो बंधक की गई सम्पत्ति पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित करे -	
	(क) जब मूल बंधक उस प्रकार का है जिसका उल्लेख अनुच्छेद संख्या 40 के खंड (क) में अर्थात् कब्जा सहित किया गया है	हस्तांतरण (क्रमांक 23) समान शुल्क जो कि लेख के अतिरिक्त प्रभार की राशि के बराबर है ।
	(ख) जब वह बंधक उस प्रकार का हो जिसका उल्लेख उनुच्छेद 40 के खंड (ख) (यानि बिना कब्जा) के किया गया है	

	(i) यदि अतिरिक्त प्रभार के विलेख के निष्पादन के समय उस विलेख द्वारा संपत्ति का कब्जा दिया जाये, या दिये जाने का करार हो	प्रभार की कुल राशि जिसमें कूल बंधक और पहले आरोपित अतिरिक्त प्रभार भी शामिल हैं के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तांतरण (क्रमांक 23) के समान शुल्क उस बंधक और अतिरिक्त प्रभार पर पहले अदा किये गये शुल्क को घटाकर
	(ii) यदि वैसे कब्जा न दिया जाये	उस विलेख द्वारा सुरक्षित अतिरिक्त प्रभार की राशि के लिए बंधपत्र (क्रमांक 15) के समान शुल्क इस शर्त के साथ कि यह अधिकतम दो लाख रूपये तक होगी ।
33	**उपहार** - का विलेख, जो व्यवस्था (क्रमांक 58) या वसीयत या अंतरण (क्रमांक 62) न हो । भाड़ा या सेवा के लिये करार - देखें समझौता (क्रमांक - 5)	सम्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिये हस्तांतरण (क्रमांक 23) के समान शुल्क
34	**क्षतिपूर्ति बंधपत्र** निरीक्षकल्प विलेख देखें समझौता विलेख (क्रमांक 22)	प्रतिभूति बंधपत्र क्रमांक 57 के अनुसार बराबर राशि का शुल्क
35	**पट्टा (लीज)** : अवर पट्टा या उप पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने के लिये कोई करार	
	(क). जब ऐसी पट्टा में किराया निश्चित हो - और कोई प्रीमियम अदा किया, या दिया गया, न हो,	
	(i). जब पट्टा एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए होना अभिप्रेत हो,	उस पट्टे के अदा होने, या दी जाने वाली, संपूर्ण राशि पर बंधपत्र (क्रमांक 15) के समान शुल्क

(ii). जब पट्टा एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत है,	औसत वार्षिक किराये के बराबर प्रतिफल हेतु हस्तांतरण बंधपत्र क्रमांक 15 के अनुसार,
(iii). जब पट्टा पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत है,	इस अधिनियम के अंतर्गत उद्गृहीत औसत वार्षिक किराये के प्रतिफल के लिये हस्तांतरण (क्रमांक) 23) के अनुसार शुल्क
(iv).जब पट्टा दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत है,	इस अधिनियम के अंतर्गत उद्गृहीत औसत वार्षिक किराये के प्रतिफल का दो गुना, जो हस्तांतरण (क्रमांक 23) के अनुसार है,
(v). जब पट्टा बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत है,	इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्गृहीत औसत वार्षिक किराये के प्रतिफल का तीन गुना, जो हस्तांतरण क्रमांक (23) के अनुसार है ।
(vi). जब पट्टा तीस वर्ष से अधिक किन्तु सौ वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये होना अभिप्रेत है,	इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्गृहीत औसत वार्षिक किराये के प्रतिफल का चार गुना, जो हस्तांतरण क्रमांक (23) के अनुसार है ।
(vii). जब पट्टा 100 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होना अभिप्रेत है	हस्तांतरण क्रमांक 14 के अनुसार शुल्क
(viii). जब पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिये होना अभिप्रेत है,	इस अधिनियम के अधीन वसुली जानेवाली हस्तांतरण विलेख संख्या 23 में औसत वार्षिक किराये के प्रतिफल का तीन गुना या औसत

	वार्षिक किराया जो पट्टे के प्रथम दस वर्षों में अदा किया जाता या दिया जाना हो, यदि पट्टा उतनी अवधि तक जारी रहे
(ख). जब पट्टा किसी दंड या प्रीमियम या अग्रिम राशि के लिए जब किराया आरक्षित नहीं है ।	हस्तांतरण क्रमांक 23 के अनुसार शुल्क जो उक्त दंड या प्रीमियम या अग्रिम, जो भी पट्टे में बताया गया है की राशि/मूल्य के बराबर है ।
(ग). जब पट्टा आरक्षित किराये के अतिरिक्त दंड, प्रीमियम या अग्रिम धन के हेतु दिया जाये,	हस्तांतरण क्रमांक 23 के अनुसार शुल्क जो उक्त दंड या प्रीमियम या अग्रिम, जो भी पट्टे में बताया गया है की राशि/मूल्य के बराबर है । यदि दंड या प्रीमियम या अग्रिम न होने पर भुगतान किया गया किया जाता, के बराबर, उपरोक्त के अतिरिक्त

छूट : खेतिहर के मामले और कृषि हेतु, बिना किसी दंड या प्रीमियम की अदायगी किये या दिये, निष्पादित पट्टे (जिसमें भोजन या पेय के उत्पादन हेतु वृक्षों का पट्टा भी सम्मिलित है), यदि उसमें निश्चित अवधि व्यक्त हो और वह एक वर्ष से अधिक न हो या जब औसत वार्षिक आरक्षित किराया एक सौ रूपये से अधिक न हो,

इस छूट में कृषि प्रयोजन के पट्टे में कृषि प्रयोजन हेतु भूमि और साथ में वासभूमि या ताल का पट्टा भी शामिल होगा ।

स्पष्टीकरण

जब पट्टेदार ऐसे आवर्तक प्रभार जैसे राजकीय कर, भूस्वामी के भाग का उपकर या मकान मालिक के भाग के म्यूनिसिपल रेट्स या कर, जो विधि अनुसार पट्टेदार से वसूल होते हैं, भुगतान करना स्वीकर करे तो वे राशियाँ, जिनके अदा करने का करार पट्टेदार द्वारा किया गया हो, किराये का भाग समझी जायेंगी ।

36	**शेयरों के आवंटन का पत्र** - किसी कम्पनी या प्रस्तावित कम्पनी के शेयरों का, या किसी कंपनी या प्रस्तावित कंपनी द्वारा लिये जाने वाले ऋण के लिये प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेजों के (क्रमांक 19) भी देखें ।	एक रूपया
37	**प्रत्यय पत्र**	जैसा अनुसूची 1 में है
	गारंटी पत्र - समझौता (संख्या 5) देखें ।	
38	**अनुज्ञप्ति पत्र** : अर्थात् ऋणि और उसके साहूकारों के मध्य ऐसा करार कि साहूकार किसी निश्चित समय तक अपने दावों को निलम्बित रखेंगे और ऋणि को अपने विवकानुसार अपना व्यापार चलाने देंगे ।	एक सौ रूपये
39	**कंपनी का संगम पत्र** क. यदि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 26,27 व 28 के अंतर्गत संगम अनुच्छेद के साथ हो,	दो सौ रूपये
	ख. यदि उसके साथ न हो,	पांच सौ रूपये

छूट

ऐसी किसी संस्था का संगम पत्र जो लाभ के लिये न बनाई गई हो और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो,

40	**बन्धक विलेख** - जो स्वत्व पत्रों के निक्षेप, आढ़ या गिरवी से संबंधित करार (क्रमांक- 6) बाटमरी बन्धपत्र (क्रमांक- 16), फसल का बंधक पत्र (क्रमांक- 41), रेस्पोडेंशियल बंधपत्र (क्रमांक -56), या जमानती बंधपत्र (क्रमांक- 57) न हो,	
	(क). जब उस पत्र में विहित संपत्ति पर या उसके किसी भाग पर, बन्धककर्ता ने कब्जा दिया हो या देने का इकरार किया हो	विलेख संख्या (23) के समान शुल्क

(ख). जब उपरोक्तानुसार कब्जा न दिया गया हो या देने का इकरार न किया हो,	दो लाख रूपये की वित्तीय सीमा के साथ 2 प्रतिशत
स्पष्टीकरण : इस अनुच्छेद के तात्पर्य से, बंधनकर्ता ने, जिसने बंधकी को बंधक की गई संपत्ति या उसके किसी भाग का किराया वसूल करने का मुख्तारनामा या उसका पट्टा दिया हो, कब्जा दे दिया माना जायेगा । (ग) जब उपरोक्त प्रयोजनों के लिये सांपर्श्विक, सहायक, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति, आश्वासन के रूप में दिया जाये, यदि मुख्य या प्रारम्भिक प्रतिभूति यथाविधि स्टाम्पित हो, तो	
एक हजार से कम या इसके भाग के लिए आरक्षित प्रत्येक राशि के लिए	दो रूपये
और प्रत्येक एक हजार रूपये के लिए या एक हजार रूपये से अधिक आरक्षित इसके भाग के लिए	प्रति हजार या इसके भाग के लिए दो रूपये
छूट :	
(1) भूमि विकास उधार अधिनियम- 1883 या कृषक उधार अधिनियम- 1884 के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों या उनके जमानतियों द्वारा उस अग्रिम राशि की वापसी की जमानत में निष्पादित विलेख	
(2) विनिमय पत्र के साथ दिया गया माल रेहन रखने का पत्र	
41 **कृषि उपज का बंधक** - जिसमें प्रत्येक वह विलेख जो फसल के बंधक द्वारा किसी ऋण की अदायगी की सुरक्षा का करार प्रमाणित करता हो, शामिल है, चाहे बंधक करते समय वह फसल वर्तमान में हो न हो - (क) जब ऋण विलेख की तिथि से तीन से अनाधिक माह में वापिस होना हो प्रत्येक उस राशि के लिये जो दो सौ रूपये तक है	दो सौ रूपये और उसके प्रत्येक भाग के लिये एक रूपये
और प्रत्येक दो सौ रूपये और उससे अधिक दो सौ का भाग	दो सौ रूपये और उसके प्रत्येक भाग के लिये एक रूपये

	(ख) जब ऋण विलेख की तिथि से तीन माह से अधिक लेकिन अट्ठारह महीने से अनाधिक	
	100 रूपये से अनाधिक सुरक्षित धनराशि के लिये	एक रूपये
	100 रूपये से अधिक प्रत्येक सौ रूपये की सुरक्षित धनराशि या उसके भाग के लिये	सौ रूपये और उसके भाग के लिए एक रूपये
42	**नोटरीय कार्य** : अर्थात् किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के पालन में या विधिक रूप से नोटरी पब्लिक का कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया, या हस्ताक्षरित किया गया कोई विलेख (संख्या-50), पृष्ठांकन नोट, प्रमाणीकरण, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि जो अभ्यापत्ति न हो	पांच रूपये
	नोट के बिल का प्रोटेस्ट (विलेख - 50) भी देखें ।	
43	**नोट या ज्ञापन** - जो किसी दलाल या एजेन्ट अपने मालिक को यह सूचित करने के लिये भेजा जाये कि मालिक के हिसाब में खरीदकर ली गई है ।	
	(क) बीस रूपये के अधिक मूल्य के माल का,	एक रूपया
	(ख) बीस रूपये से अधिक मूल्य के किसी स्टाक या बिक्रय ऋण पत्रों का,	स्टाक या बिक्रय ऋण पत्रों के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रूपये या उसके भाग के लिये एक रूपया क्रय और बिक्रय जैसी स्थिति है ।
44	जहाज के मालिक द्वारा अभ्यापत्ति की सूचना	दस रूपये
45	**विभाजन का विलेख** - जैसा कि धारा 2(15) में परिभाषित है	सम्पत्ति के पृथकृत भाग या भागों के मूल्य के लिय बंधपत्र (क्रमांक- 15) के समान शुल्क । विशेष ध्यान : सम्पत्ति के विभाजित हो जाने के बाद बचा सबसे बड़ा भाग, या यदि बराबर मूल्य के दो या अधिक भाग हों, जो अन्य किसी भी भाग में से एक वह भाग माना जाएगा जिससे अन्य भाग पृथक किये गये हैं ।

प्रतिबन्ध सदा यह है कि
(क) जब कोई ऐसा विलेख जिसमें सम्पत्ति को स्वतंत्र भागों में विभाजित करने का करार निष्पादित किया गया हो और उस करार के अनुसार विभाजन सम्पन्न किया जाये तो उस विभाजन को कार्यान्वित किये जाने वाले विलेख पर या घोषणा या अन्य किसी रूप में ऐसे विभाजन की शर्तों को लेखबद्ध करने वाले विलेख पर प्रभार्य शुल्क उतना कम कर दिया जायेगा जितना प्रथम विलेख पर अदा किया गया हो, परंतु वह दस रूपये से कम न होगा ।
(ख) जब भूमि बंदोबस्ती लगान पर हो तो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये उसका मूल्य वार्षिक लगान का पचास गुना गणना किया जायेगा ।
(ग) जब किसी राजस्व अधिकरण या किसी दावानी न्यायालय द्वारा पारित विभाजनकिये जाने का अन्तिम आदेश, या विभाजन निदेशित करने वाला पंच फैसला, विभाजन के विलेख के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित हो, और उस आदेश या निर्णय के अनुसार विभाजन का विलेख बाद में निष्पादित किया जाये तो ऐसे विलेख के लिये दस रूपये से अधिक न लगेगा ।

46	<u>भागीदारी</u>	
	(क) विलेख का	
	(अ) जहाँ भागीदारी की पूंजी पांच सौ रूपये से अधिक न हो	पांच हजार रूपये की अधिकतम सीमा के साथ एक प्रतिशत
	(ब) अन्य किसी दशा में,	
	(ख) भंग होना	दो सौ रूपये
	आढ़ या गिरवी जैसा कि शीर्ष विलेख निक्षेप करने के संबंध में (क्रमांक-6) में स्थित है,	जैसा अनुसूची 1 में है ।
47	<u>बीमा पालिसी</u>	
48	**मुख्तारनामा** - (जैसा धारा 2(21) में परिभाषित है) जो प्राक्सी (क्रमांक-52) न हो	
	क. जब एक या एक ही सौदे से संबंधित अधिक लेख पत्रों का पंजीकरण कराने या एक या अधिक ऐसे लेख पत्रों का निष्पादन स्वीकार करने के एकमात्र प्रयोजन से निष्पादित हो,	बीस रूपये
	ख. जब प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायलय अधिनियम- 1882 के अंतर्गत वाद या कार्यवाही की आवश्यकता हो	बीस रूपये
	ग. जब पांच से अनधिक व्यक्तियों को एक से अधिक सौदों में जब खंड (क) में उल्लेखित मामले	पचास रूपये
	घ. जब पांच से अनधिक व्यक्तियों को एक से अधिक सौदों में, या आमतौर पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने के लिये अधिकृत करें	पचास रूपये
	ङ. जब पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को एक से अधिक सोदों में या आमतौर पर व्यक्तिगत और सामूहित रूप से कार्य करने के लिये अधिकृत करें	पचास रूपये
	च. जब प्रतिफल के उपलक्ष्य में दी जाये और मुख्तार को कोई जंगम सम्पत्ति विक्रय करने के लिये अधिकृत करे ।	हस्तांतरण (क्रमांक- 23) के समान शुल्क जो प्रतिफल की उद्ग्रहण राशि के समान है ।

	छ. अन्य किसी दशा में **विशेष ध्यान** : शब्द 'पंजीकरण' में इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट - 1908 के अधीन पंजीकरण से प्रासंगिक प्रत्येक क्रिया शामिल है। **स्पष्टीकरण** : इस अनुच्छेद के प्रयोजन हेतु एक ही फर्म के एक से अधिक व्यक्ति एक ही माने जायेंगे ।	प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति हेतु पचास रूपये
49	**वचन पत्र**	जैसा अनुसूची 1 में है
50	**विनिमय या वचन पत्र विषयक प्रसाक्ष्य** - अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस पद पर विधिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई कोई लिखित घोषणा जिसमें किसी विनिमय पत्र या वचन पत्र के नकारने को साक्ष्यांकित किया गया हो ।	दस रूपये
51	**पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति** - अर्थात् हानियों के समायोजन या औसत के आगणन के उद्देश्य से तैयार किये जहाज की यात्रा के विवरणों की घोषणा और जहाज के न लादने या न उतारने के लिये चार्टर करने वालों या पाने वालों के विरूद्ध की गई प्रत्येक लिखित घोषणा, यदि यह घोषणा नोटरी पब्लिक या विधिक रूप से उस पद का कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्यांकित या प्रमाणित की गई हो । पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति के नोट (संख्या 44) को भी देखें	दस रूपये

	परोक्षी (प्रावसी)	जैसा अनुसूची 1 में है
	रसीद	जैसा अनुसूची 1 में है
54	**बंधक संपति का प्रति हस्तांन्तरित करना** (क) यदि वह प्रतिफलजिसके लिए संपत्ति बंधक की गई थी, एक हजार रू से अधिक ना हो	हस्तांन्तरण (क्रमांक 23)जैसा कि नियम उदग्रहीत है, जितनी की प्रतिफल में बताई गई है प्रतिहस्तांनातरित करने हेतु
	(ख) अन्य किसी दशा में	
	(1) यदि प्रति हस्तानांतरण नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र में संगम समपति के विषय में है ।	एक सौ रूपये
	(2) अन्य किसी दशा में	एक सौ रूपये
55	**निर्मुक्ति** :- कोई विलेख, जो वैसी निर्मुक्ति ना हो जैसी धारा 23 क. में उल्लिखित है, जिससे कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति पर, या किसी निश्चित संपत्ति पर, के दावे को त्याग दे :-	
	(क) यदि दावे की राशी का मूल्य एक हजार रूपये से अधिक ना हो ।	समान शुल्क जैसा कि बंधपत्र संख्या 15में निर्मुक्ति में राशी बताई गई है ।
	(ख) अन्य किसी दशा में	एक सौ रूपये
56	**रैस्पॉन्डेशिया बन्धपत्र** :- अर्थात किसी जहाज पर लदे माल से किसी ऋण की जमानत और ऋण वापसी को माल के गंतव्य बन्दरगाह पर पहुंच कर समाश्रित करने वाला विलेख ।	सुरक्षित ऋण की राशी के लिये बोटोमैरी बंधपत्र (क्रमांक 16) के समान शुल्क
	न्यास के निपटान का प्रतिसंहरण व्यवस्थापन (क्रमांक-58), न्यास (क्रमांक 64) देखें	
57	**प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख** :- किसी पद के यथोचित कार्य पालन या उस कारण प्राप्त धन, या अन्य संपत्ति के उत्तरदायित्व के लिये प्रतिभूति के रूप में निष्पादित, या किसी करार के यथाचित पालन, या किसी दायित्व के यथोचित निर्वाह को सुरक्षित करने के लिए किसी जमानती द्वारा निष्पादित :-	
	(क) जब सुरक्षित किया गया धन एक हजार रू अधिक न हो,	सुरक्षित किए गए धन कें लिये बंधपत्र (क्रमांक 15)के समान शुल्क ।
	(ख) अन्य किसी दशा में	एक सौ रूपये
	छूट :- बंधपत्र या अन्य विलेख, जब निष्पादित किए जायें (क) किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी करने के प्रयोजन से किया गया हो कि किसी धर्मार्थ औषधि केन्द्र, या चिकित्सालय या अन्य सार्वजनिक हित के अन्य कार्य के लिये निजी चन्दे से होने वाली आय प्रतिमास एक निश्चित राशि से कम न होगी ।	

(ख) **भूमि विकास अधिनियम** - 1883 या कृषक अधिनियम 1884 के अधीन अग्रिम लेने वाले व्यक्तियों या उनके जामिनों द्वारा उस अग्रिम की वापसी की जमानत के लिये किया गया हो ।

(ग) सरकारी अधिकारियों या उनके जामिनों द्वारा किसी यथोचित कार्यपालन, या उसके नाते प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति का यथोचित उत्तरदायित्व सरक्षित करने के लिये किया गया हो ।

58 **व्यवस्थापन** :-

(क) का विलेख (जिसमें मेहर का लेखपत्र भी शामिल है)

व्यवस्थापित संपत्ति की राशी या मूल्य के बराबर धनराशी के लिये बंधपत्र (क्रमांक- 15) के समान शुल्क ।

छूट :-

मुसलमानों के बीच विवाह के समय निष्पादित मेहर के विलेख

(ख) प्रतिसंहरण :-

संबंधित संपत्ति की राशी या मूल्य के बराबर धनराशी के लिये बंधपत्र (क्रमांक - 15) के समान शुल्क जो एक सौ रूपये से अधिक न होगा ।

न्यास (क्रमांक -64) भी देखें ।

59 **शेयर वारन्ट** :- धारक को, कम्पनीज अधिनियम -1956 के अधीन जारी किया गया ।

वारंट में निर्दिष्ट शेयरों में अंकित राशि के बराबर नाममात्र के लिये कब्जा संख्या 40 (क) सहित किसी बंधक विलेख पत्र पर देय शुल्क का डेढ़ गुणा

छुट :-

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 114 के अनुसरण में किसी कम्पनी द्वारा जारी शेयर वारंट केवल भुगतान के लिए तभी प्रभावी होंगे जब उस ड्यूटी का भुगतान स्टाम्प राजस्व के समाहर्ता को कर दिया जायेगा ।

(क) कम्पनी के समस्त निवेशित पूंजी का डेढ़ प्रतिशत, या

(ख) यदि कोई कम्पनी उक्त ड्यूटी का भुगतान कर चुकी है या बाद वाले इश्यू में समाधान शुल्क अपनी निवेशित पूँजी के अतिरिक्त दे चुकी है । इस प्रकार जारी पूँजी का डेढ़ प्रतिशत ।

60	जहाजरानी आदेश :- किसी जलयान पर माल ढोने के लिये, या से संबंधित ।	एक रूपया
61	पटटे का अभित्याग :-	
	(क) जबकि शुल्क नही है जो कि पटटे का शुल्क है जो दस रूपये से अधिक प्रभार्य नहीं है ।	वह शुल्क जो उस पटटे पर प्रभार्य है ।
	(ख) अन्य किसी दशा में ।	एक सौ रूपये
	छूट :- पटटे का अभित्याग, जब वह पटटा शुल्क से मुक्त है ।	
62	अन्तरण :-(चाहे प्रतिफल से या बिना प्रतिफल के)	जैसा कि अनुसूची 1 में है ।
63	पटटे का अन्तरण :- अभ्यार्पण के रूप में या अवर पटटे के के रूप में ।	अंतरण के प्रतिफल पर अंतरण के लिए इस अधिनियम (क्रमांक -23) द्वारा उदगृहीत शुल्क ।
	छूट :- उस पटटे का अंतरण हो शुल्क से मुक्त हो ।	
64	न्यास :-	
	(क) की घोषणा :- किसी सम्पत्ति का, या संपत्ति संबंधित जो किसी लेख द्वारा की गई हो और जो वसीयत न हो ।	संपत्ति की निपटान राशी पर हस्तानांतरण (क्रमांक -23) के बराबर शुल्क ।
	(ख) का निरसन किसी सम्पत्ति का, या संपत्ति से संबंधित जो किसी लेख द्वारा की गई हो और वसीयत न हो ।	संबंधित संपत्ति की राशी या मूल्य के बराबर धनराशी के लिये क्रयपत्र (क्रमांक -15) के समान शुल्क - परन्तु एक सौ रूपये से अधिक नहीं ।
	कृपया व्यवस्थापन (क्रमांक-58) मूल्यांकन - देखें आंकना (क्रमांक -8) वकील :- वकील के रूप में प्रवेश (क्रमांक-30)	
65	माल का वारन्ट :- अर्थात कोई विलेख जिससे उसमें नामित किसी व्यक्ति का, या उसके अभ्यार्किती या धारक का, किसी काल में, जो किसी गोदी घाट या गोदाम में रखा हो, स्वामित्व प्रमाणित होता हो, यदि ऐसा विलेख उस व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से, जिसके तहत वह माल हो हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया हो ।	एक रूपया

एस० आर० माहेश्वरी
अवर सचिव (विधि एवं न्याय)
दिल्ली सरकार
(विधि एवं न्याय विभाग)
नई दिल्ली